न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 49 / 2018 / प्रार्थना पत्र

उनवान

1. दुर्गालाल पि. शिवलाल जाति दांगी नि. आजमपुर तहसील रायपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. कन्हैयालाल पि. शिवलाल जाति दांगी नि. आजमपुर तहसील रायपुर
2. कन्हैयालाल पि. भुवाना जाति दांगी नि. आजमपुर तहसील रायपुर
3. कंचनबाई पत्नि कन्हैयालाल जाति दांगी नि. आजमपुर तहसील रायपुर
4. रामबाबू पि. कन्हैयालाल जाति दांगी नि. आजमपुर तहसील रायपुर
5. बालचन्द पि. कन्हैयालाल जाति दांगी नि. आजमपुर तहसील रायपुर
6. लालचन्द पि. प्रभूलाल जाति दांगी नि. सुवांस तहसील रायपुर
7. हजारीलाल पि. भुवाना जाति दांगी नि. आजमपुर तहसील रायपुर
8. गंगाबाई बेवा भुवाना जाति दांगी नि. आजमपुर तहसील रायपुर
9. बालीबाई पत्नि बापूलाल जाति दांगी नि. आजमपुर तहसील रायपुर
10. सांवरलाल नाबालिग पि. कन्हैयालाल नाबालिग का संरक्षक माता फूलबाई बेवा कन्हैयालाल जाति दांगी नि. आजमपुर तहसील रायपुर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री अहमद उल्ला खान

वकील अप्रार्थी सं. 1 , 2 व 6 – श्री सुभाष दांगी

आदेश दिनांक : 24/01/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि ग्राम आजमपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1199 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी का 1 बीघा 8 बिस्वा हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी ने उसके कब्जे की भूमि में टमाटर की फसल बो रखी है। प्रार्थी की आराजी 2 बीघा 16 बिस्वा थी जिसमें से प्रार्थी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

बीघा 8 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 9 को बेचान कर दी है अब प्रार्थी के पास 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि बची है जिस पर प्रार्थी खेती कर रहा है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 8 ने दिनांक 07.07.2018 को प्रार्थी की टमाटर की फसल को उखाड कर कब्जा करने लगे एवं मना करने पर जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी सीधा सादा व्यक्ति है एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 लडाई झगडा करने वाले व्यक्ति है।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस है एवं न्याय व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थि अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 को जरिये अस्थाई निषेधाक्षा से पाबंद किया जावे कि वे ताफैसला मूल वाद तक ग्राम आजमपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1199 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे एवं अवैध कब्जा नहीं करे। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम आजमपुर की जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 237 , खसरा गिरदावरी नकल , नक्शा ट्रेस, पुलिस रिपोर्ट की रसीद , आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थी सं. 1 , 2 , 6 की ओर से एडवोकेट श्री सुभाष दांगी ने वकालातनामा प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को गलत एवं अस्वीकार कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा बिना कानूनी बंटवारा कराये सहखातेदारो के विरूद्ध उनके हिस्से व कब्जे की भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पेश किया है। ग्राम आजमपुर के ख.नं. 1199 का मौके पर 30 वर्ष पूर्व से बंटवारा होकर मेडे बनी हुई है जिस पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा उसका हिस्सा कब्जा की भूमि अप्रार्थी सं. 9 को बेचान कर पूरे हिस्से पर कब्जा संभला कर रिकार्ड में बेचान का पंजीयन कम करने फिर अप्रार्थी सं. 7 लगायत 10 के विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाहकर केवल अप्रार्थी सं. 1, 2, 6 को परेशान करने की गरज से झूंछा व निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी सं. 10 फोत हो चुका है एवं मृतक के विरूद्ध दावा/प्रार्थना पत्र स्वतः अबेट उपशमन हो जाने से खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:16 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र , जवाब प्रार्थना पत्र , राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। जमाबंदी सं. 2069–72 के खाता सं. 237 के अनुसार प्रकरण में यह पाया कि ग्राम आजमपुर की आराजी ख.नं. 1199 रकबा 8 बीघा 7 भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी की है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी दुर्गालाल पि. शिवलाल द्वारा अपना 1/6 हिस्सा अप्रार्थी सं. 9 को बेचान किया जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है। मृतक खातेदार शिवलाल पि. भुवाना के फोती नामा.सं. 968 एवं हकत्याग नामा.सं. 1014 से प्रार्थी दुर्गालाल पि. शिवलाल का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हक हिस्सा शेष बचता है जिसका वह खातेदार काश्तकार है। चूंकि वादग्रस्त आराजी शामलाती खाते की है जिसका अभी विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा है।

आदेश

इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस है एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने की स्थिति में अपूरनीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी को है। अतः प्रार्थी का धारा 212 राज.टीनेन्सी एक्ट का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ता फैसला मूल वाद तक वे ग्राम आजमपुर की आराजी ख. नं. 1199 रकबा 8 बीघा 7 भूमि में प्रार्थी के 1/6 हक व हिस्से की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करें।

आदेश आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:09:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner